सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

कार्यालय प्रथम अपीलीय अधिकारी, जिला कलेक्टर, दौसा

श्री एम.एल बैरवा, निवासी ग्राम डिडवाना पो0 डिडवाना तहसील लालसोट, जिला दौसा (राज0)

बनाम

लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी, लालसोट जिला दौसा

अपील सं0 13/2019

<u>निर्णय</u> दिनांक : 21.05.2019

संक्षिप्त विवरण अपील इस प्रकार है कि अपीलांट द्वारा लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी, लालसोट जिला दौसा को सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 के तहत सूचना प्राप्त करने हेतु दिनांक 18.03.2019 को प्रार्थना पत्र प्रेषित कर वॉछित सूचना/नकल हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया। प्रार्थी को वॉछित सूचना/नकल निर्धारित समयावधि में प्राप्त नहीं हुई। इसी से पीडित होकर यह अपील पेश की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की गई । लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी, लालसोट को प्राप्त पत्रों की छाया प्रति प्रेषित कर संबंधित को वॉछित नकल/सूचना उपलब्ध करवाई जाकर जॉच टिप्पणी मॅगवाई गई।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी, लालसोट से रिपोर्ट प्राप्त नहीं होने पर उनको पुनः इस कार्यालय के पत्रांकः डीएम/कोर्ट/834 दिनांक 14.05.2019 द्वारा स्मरण–पत्र जारी किया गया। किंतु लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी, लालसोट जिला दौसा की ओर से कोई जवाब प्राप्त नहीं हुआ। लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी, लालसोट का जवाब स्मरण पत्र के बावजूद भी प्राप्त नहीं होना गंभीर बात है। इससे स्पष्ट होता है कि अपीलांट द्वारा चाही गई सूचना/नकल उपलब्ध नहीं करवाई गई है। पत्रावली मे ग्राम पंचायत रामगढ पचवारा पंचायत समिति लालसोट द्वारा दिनांक 06.03.2019 द्वारा उपखण्ड अधिकारी रामगढ पचवारा को मंदिर के रास्ते मे से अतिक्रमण हटाने बाबत पत्र अंकित किया है। इससे स्पष्ट होता है कि वांछित सूचना उपखण्ड अधिकारी रामगढ पचवारा के क्षेत्राधिकार से संबधित प्रतीत होती है। अतः सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 के तहत प्राप्त आवेदन पत्र की सूचना संबंधित व्यक्ति को 30 दिवस की समयावधि में उपलब्ध कराने का प्रावधान है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है। लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी, लालसोट/रामगढ पचवारा जिला दौसा को निर्देश दिये जाते है कि अपीलांट को वॉछित सूचना/नकल आदेश प्राप्ति के 07 दिवस के भीतर नियमानुसार उपलब्ध करावें। संबंधित को निर्णय प्रति प्रेषित करें। बाद पूर्ति पत्रावली प्रविष्ठ लेख भण्डार हो ।

(अविचल चतुर्वेदी)
जिला कलेक्टर, दौसा
जिला कलेक्टर, दौसा